रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1983

का. आ. 259(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 24, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन चिन्ह के रूप में आवंटित अक्षर समूह के बाद "आई.सी." अक्षर जो एक संयोजक रेखा से विभक्त होगा, लगाने के लिए राज्य सरकारों को प्राधिकृत करती है ।

[फाइल सं. टी.जी.बो.-40/82]

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचि

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1983

S.O. 259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby authorises the State Governments to suffix group of letters 'IC' separated by hyphen, to the Group of letters allotted to them for issue as the registration mark in respect of registration of invalid carriages

[File No. TGO-40/82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983